न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 28/2025 (उदयपुर डिक्री)

बालू पिता तारू जी जाट, निवासी फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सुडा पिता हरलाल जी जाट, निवासी फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. किशोर पिता गोरधन जी जाट, निवासी फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. माधुलाल पिता हरलाल जी जाट, निवासी फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 05.02.2025 प्र. सं. 107/16

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री गजेन्द्र ओस्तवाल अभिभाषक रे.सं. 1, 3

———::———

निर्णय **दिनांक 23–05–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फलीचडा, तहसील मावली में आराजी नंबर 1017 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 10/71 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 112/213 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी नंबर 1019 रकबा 14 बीघा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 32/57 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/19 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु बैंक से ऋण प्राप्त करने व भूमि विकास में कठिनाई आने से उक्त आराजियात का विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर राजीनामें अनुसार दिनांक 21.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 05.02.2025 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18.03.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मयूर दवे उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र ओस्तवाल उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश मेनारिया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि पी.डी. में रास्ते बाबत् आदेश था तथा समझौता पत्र में भी रास्ते बाबत् राजीनामा प्रस्तुत हुआ था। मौजूदा रास्ता शामलाती रहेगा ऐसा पालना रिपोर्ट में रास्ते का कोई हवाला नहीं है। मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मावली को फर्द बंटवारा बनाने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु तहसीलदार मौके पर नहीं गये तथा पटवारी हल्का द्वारा भी मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर [illegible] निराकरण नहीं कर जल्दबाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested

में रेस्पोन्डेन्ट सुडा व माधूलाल को लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना अवसर दिये तथा अपीलान्ट की आपत्ति पर पुनः पी.डी. रिपोर्ट मंगवाये बिना अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विभाजन कब्जे अनुसार ही किया गया है तथा स्वयं अपीलान्ट ने इस पर अपनी सहमति दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी की है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। समझौता पत्र में हिस्सा एवं कब्जे अनुसार विभाजन हेतु दोनों पक्षों ने सहमति दी थी तथा सूचना पत्र पर भी अपीलान्ट द्वारा लेने से मना करने की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन हेतु पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए पक्षकारों की सहमति से कब्जे व हिस्से अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–02–2025 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**..... व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

बालु पिता तारू जाट, निवासी फलीचडा, तहसील मावली बनाम **सुडा पिता हरलाल जाट, निवासी फलीचडा, मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**28 / 2025**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..... **.....मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....05**.....माह.....**02**.....**.....2025**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....सन् **2025** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी ..... **मुकेश मेनारिया** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**गजेन्द्र ओस्तवाल** .....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05–02–2025 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**..01**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:15 IST
Reason: SelfAttested